झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
संकल्प

संख्या 1093 दिनांक 21/02/26

विषय :– झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट–ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में।

विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने संबंधित कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. उक्त अभ्यावेदनों में मुख्य रूप से यह उद्धृत किया गया है कि विगत 25 वर्षों में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से मात्र 08 (आठ) झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है। इस प्रसंग में अभ्यावेदकों द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 में अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए संदर्भ तिथि **दिनांक–01.08.2018** रखने का अनुरोध किया गया है।

3. झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के संबंध में The Jharkhand Combined Civil Services Examination (2nd amendment) Rules, 2023 में उम्र सीमा की गणना हेतु संशोधित प्रावधान निम्नवत है :–

(2) "A candidate should have completed a minimum age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day (First day) of the month of August in the year of the publication of advertisement of the examination under these rules."

4. अंकनीय है कि वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के निमित वर्ष 2024 में (विज्ञापन सं0–01/2024) झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जिसके परीक्षाफल का प्रकाशन अंतिम रूप से वर्ष 2025 में करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। फलतः वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 में उद्भूत रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा संदर्भित वर्षों में आहूत नही की जा सकी है।

5. विदित हो कि झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 की रिक्तियों को सम्मिलित किया गया है। झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु विभिन्न सेवा/संवर्गों के अन्तर्गत कुल 103 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति एवं 45 रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी नियुक्ति) प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु विज्ञापन सं0–01/2026 प्रकाशित किया गया है। साथ ही झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 के आयोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

6. अतएव सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सीधी नियुक्ति एवं बैकलॉग नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः **दिनांक–01.08.2022** एवं **दिनांक–01.08.2026** कट–ऑफ तिथि रखे जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए मात्र झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 के लिए ही मान्य होगा।

7. मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव पर विभागीय संलेख सं0–06/लो०से०आ०–01–04/2025 का०–1068 दिनांक–20.02.2026 के माध्यम से मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतियाँ झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21/02/26
(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–06/लो०से०आ०–01–04/2025 का०...1093.../राँची, दिनांक :–....21/02/26

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी (ई–गजट), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने के लिए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–06/लो०से०आ०–01–04/2025 का०..1093...../राँची, दिनांक :–....21/02/26

प्रतिलिपिः–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
सरकार के सचिव।